NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 04-01-2025

विषय सूची

आर्थिक मुद्दों के बीच भारत ने मालदीव को समर्थन देने का वचन दिया

पर्याप्त मुआवजे के बिना किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय

सरकार ने हितधारकों के परामर्श के लिए विदेश व्यापार नीति, 2023 में संशोधन किया

छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला प्रथम राज्य

परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी

'ग्रीन बैंक' के माध्यम से विकार्बनीकरण का वित्तपोषण

संक्षिप्त समाचार

रानी वेलु नचियार

सावित्रीबाई फुले जयंती

डेटा संरक्षण कानून पर मसौदा नियम

रमेश चंद समिति

वस्त्र उद्योग के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी

ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV)

भारत की पहली 'तटीय-जलचर पक्षी जनगणना' (Coastline-Waders Bird Census)

आर्थिक मुद्दों के बीच भारत ने मालदीव को समर्थन देने का वचन दिया

संदर्भ

- मालदीव के विदेश मंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। उनका उद्देश्य व्यापार एवं निवेश जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना है।

मालदीव एवं इसका महत्त्व

- **सामरिक महत्त्व:** मालदीव हिंद महासागर में सामरिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित है और इसकी स्थिरता एवं सुरक्षा भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **व्यापार मार्ग:** अदन की खाड़ी एवं मलक्का जलडमरूमध्य के बीच महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित मालदीव भारत के लगभग आधे बाहरी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात के लिए **"टोल गेट"** के रूप में कार्य करता है।

- **चीन का प्रतिसंतुलन:** मालदीव भारत के लिए हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिसंतुलन करने तथा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बढ़ावा देने का अवसर प्रस्तुत करता है।

भारत-मालदीव पर संक्षिप्त विवरण

- **विभिन्न मंचों में भागीदारी:** दोनों देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के संस्थापक सदस्य हैं तथा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता हैं।
- **आर्थिक साझेदारी:** भारत 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा।
  - भारत मालदीव के लिए सबसे बड़े निवेशकों एवं पर्यटन बाज़ारों में से एक है, जहाँ महत्त्वपूर्ण व्यापार एवं बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ चल रही हैं। 2023 में, भारत **11.8% बाज़ार हिस्सेदारी** के साथ मालदीव के लिए अग्रणी स्रोत बाज़ार होगा।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:** 1988 से रक्षा एवं सुरक्षा भारत और मालदीव के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है।
  - रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए 2016 में रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए गए।
  - अनुमान है कि मालदीव का लगभग **70% रक्षा प्रशिक्षण भारत** द्वारा किया जाता है।
- **कनेक्टिविटी:** माले से थिलाफुशी लिंक परियोजना, जिसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMC) के नाम से जाना जाता है, 530 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बुनियादी ढांँचा परियोजना है।
  - इस परियोजना का उद्देश्य माले को विलिंगिली, गुलहिफाल्हू एवं थिलाफुशी द्वीपों से पुलों, बाँधों एवं सड़कों की एक शृंखला के माध्यम से जोड़ना है।

- यह परियोजना प्रस्तावित गुलहिफाल्हू बंदरगाह के लिए महत्त्वपूर्ण है, और मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक होगी।

संबंधों में चुनौतियाँ

- **मालदीव में घरेलू अशांति:** हाल की राजनीतिक अशांति एवं सरकार में परिवर्तन से अनिश्चितता उत्पन्न हुई है और दीर्घकालिक सहयोग परियोजनाएँ जटिल हो गई हैं।
- **चीनी प्रभाव:** मालदीव में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति, जो बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश एवं ऋण-जाल कूटनीति से प्रमाणित होती है, को इस क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता है।
- **गैर-परंपरागत जोखिम:** समुद्री डकैती, आतंकवाद एवं मादक पदार्थों की तस्करी इस क्षेत्र में चिंता का विषय बने हुए हैं, जिसके लिए भारत तथा मालदीव के बीच निरंतर सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता है।
- **व्यापार असंतुलन:** भारत एवं मालदीव के बीच महत्त्वपूर्ण व्यापार असंतुलन असंतोष को उत्पन्न करता है तथा व्यापार साझेदारी में विविधता लाने की माँग करता है।

आगे की राह

- भारत-मालदीव संबंधों का विकास भू-राजनीतिक गतिशीलता, नेतृत्व में परिवर्तन एवं साझा क्षेत्रीय हितों के संयोजन को दर्शाता है।
- भारत मालदीव के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं में दृढ़ है और संबंध बनाने के लिए हमेशा अतिरिक्त प्रयास करता रहा है।
- चुनौतियों को स्वीकार करके और उनका समाधान करके, भारत एवं मालदीव अपने संबंधों की जटिलताओं को दूर कर सकते हैं। भविष्य के लिए अधिक मजबूत, अधिक लचीली एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं।

Source: HT

पर्याप्त मुआवज़े के बिना किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता: उच्चतम न्यायालय

समाचार में

- उच्चतम न्यायालय का निर्णय एक कल्याणकारी राज्य में संवैधानिक अधिकार एवं मानव अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के महत्त्व को रेखांकित करता है।

संपत्ति के अधिकार का ऐतिहासिक संदर्भ

- प्रारंभ में, **संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(f)** के अंतर्गत **मौलिक अधिकार** के रूप में संरक्षित किया गया था, जो नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, रखने एवं निपटाने की अनुमति देता था, तथा अनुच्छेद 31, जो राज्य द्वारा अर्जित संपत्ति के लिए मुआवजे को अनिवार्य करता था।
- हालाँकि, पुनर्वितरण के उद्देश्य से बनाए गए भूमि सुधार कानूनों के साथ तनाव के कारण बार-बार संशोधन किए गए, जिससे ये सुरक्षाएँ कमजोर हो गईं।
- अंततः, **1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों** की सूची से हटा दिया गया तथा **संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A** जोड़ा गया।
  - अनुच्छेद 300A में कहा गया है, **"किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा,"** यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति को राज्य द्वारा केवल वैध कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही अधिग्रहित किया जा सकता है, जिससे यह मौलिक अधिकार के बजाय एक संवैधानिक अधिकार बन जाता है।

निर्णय की मुख्य विशेषताएँ

- **अनुच्छेद 300-A के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार:** किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।
  - यदि संपत्ति अर्जित की जाती है तो कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- **भूमि अधिग्रहण मामला:** यह निर्णय **बेंगलुरु-मैसूरु इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना (BMICP)** के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले से उत्पन्न हुआ।
  - राज्य प्राधिकारियों के **"निष्क्रिय अभिवृत्ति (Lethargic Attitude)"** के कारण होने वाली देरी के कारण भूमि मालिकों को 2005 से पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उनकी संपत्ति से वंचित रखा गया था।
- **उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप:** न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशा निर्देश दिया कि भूमि का बाजार मूल्य अप्रैल 2019 में प्रचलित दरों के अनुसार निर्धारित किया जाए, न कि मूल अधिग्रहण वर्ष (2003) के अनुसार।
  - न्याय सुनिश्चित करने एवं अनुच्छेद 300-A के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए यह समायोजन आवश्यक समझा गया।
- **मुआवजे में समयबद्धता:** न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण मामलों में मुआवजे के शीघ्र निर्धारण एवं वितरण के महत्त्व पर बल दिया।
  - इसमें इस आर्थिक वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया कि विलंबित मुआवजा मुद्रास्फीति एवं खोई हुई निवेश क्षमता के कारण इसके मूल्य को कम कर देता है।

निहितार्थ

- यह निर्णय संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करने और संपत्ति के अधिकारों का सम्मान करने में राज्य अधिकारियों के लिए जवाबदेही को मजबूत करता है।
- यह मुआवज़ा निर्धारित करने के लिए एक उदाहरण प्रदान करता है जो नौकरशाही की अक्षमता एवं मुद्रास्फीति के कारण होने वाली देरी पर विचार करता है, जिससे प्रभावित पक्षों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

Source: TH

सरकार ने हितधारकों के परामर्श के लिए विदेश व्यापार नीति, 2023 में संशोधन किया

समाचार में

- **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)** ने **विदेश व्यापार नीति, 2023** में संशोधन किया है, जिसमें नीति तैयार करने या संशोधित करने से पहले अनिवार्य हितधारक परामर्श के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है।
  - यह संशोधन **विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992** के अंतर्गत किया गया।

FTP 2023 का परिचय

- **उद्देश्य:** निर्यातकों के लिए इसे सुलभ बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित एवं स्वचालित करना।
  - 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात प्राप्त करना।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **निर्यात केन्द्र के रूप में जिले:** क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात को समर्थन देने के लिए बुनियादी ढाँचे (लॉजिस्टिक्स, परीक्षण, कनेक्टिविटी) का विकास करना।

- **विस्तारित निर्यात संवर्धन पूँजीगत वस्तुएँ (EPCG) योजना:** पूँजीगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत PM MITRA (प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क) जैसी प्रमुख पहलों को शामिल किया जाएगा।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था फोकस:** डिजिटल अर्थव्यवस्था में सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित करना।
- **निर्यातक मान्यता:** उच्च प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को मान्यता देना तथा उन्हें क्षमता निर्माण पहलों में सम्मिलित करना।
- **सुव्यवस्थित (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण एवं प्रौद्योगिकियाँ) नीति:** नियंत्रित वस्तुओं के जिम्मेदार निर्यात को सुनिश्चित करते हुए दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच में सुधार करना।

संशोधनों का प्रभाव

- **व्यापार करने में सुलभता:** इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यापार नीति निर्णयों में हितधारकों के साथ अधिक भागीदारी एवं सहयोग को बढ़ावा देकर भारत में व्यापार करने की सुलभता में सुधार करना है।
- **समावेशिता:** हितधारकों को शामिल करके नीति निर्माण में समावेशिता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना, साथ ही स्वप्रेरणा से निर्णय लेकर असाधारण परिस्थितियों का समाधान करने के लिए सरकार के अधिकार को बनाए रखना।
- **बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता:** जिला केन्द्रों, ई-कॉमर्स सुविधा एवं निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण जैसी पहलों के साथ, AFTP 2023 भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए तैयार है, जो 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात के लक्ष्य के अनुरूप है।

Source: PIB

छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला प्रथम राज्य

समाचार में

- छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम राज्य बन गया है जिसने वनों की **पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन GDP)** से जोड़ने की अग्रणी पहल की शुरुआत की है।

हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन GDP) क्या है?

- **हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन GDP) एक आर्थिक संकेतक** है जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करते हुए किसी देश के वास्तविक आर्थिक प्रदर्शन को मापना है
- **हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन GDP):**
  - पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद से आर्थिक गतिविधि की पर्यावरणीय लागतों को घटाता है।
  - इसमें पर्यावरणीय लाभों के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि वनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ (स्वच्छ वायु, जल शोधन, जैव विविधता)।

पहल की मुख्य विशेषताएँ

- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन:** स्वच्छ वायु (CO_2 अवशोषण एवं ऑक्सीजन उत्पादन), जल संरक्षण (नदियों एवं झरनों का आर्थिक प्रभाव) एवं जैव विविधता (पारिस्थितिक संतुलन एवं कृषि समर्थन) जैसे लाभों का परिमाणीकरण।
  - मूल्यांकन को राज्य की हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन GDP) गणना में सम्मिलित किया जाएगा।

- **आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण:** लकड़ी के अतिरिक्त वनों के योगदान को मान्यता देना, जिसमें विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लिए उनके सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्त्व को सम्मिलित किया गया है।
    - राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में जंगल सफारी एवं कैम्पिंग के माध्यम से इको-पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।
- **वैज्ञानिक मूल्यांकन:** राज्य की अर्थव्यवस्था में वनों के योगदान को सटीक रूप से दर्शाने के लिए वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी सेवाओं को मापने और उनका मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिकों को नियुक्त करना।

हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन GDP) के लाभ

- वनों के अमूर्त लाभों को पहचानें, जैसे जलवायु विनियमन एवं मृदा संवर्धन, जिन्हें पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद गणनाओं में प्रायः नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय स्थिरता के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला गया।
- ऐसी नीतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है जो पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम करती हैं तथा संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देती हैं।
- लक्षित हस्तक्षेपों के लिए उच्चतम पर्यावरणीय प्रभाव वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करता है।

हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन GDP) की चुनौतियाँ

- **मूल्यांकन की जटिलता:** गैर-बाज़ार पर्यावरणीय लाभों (जैसे जैव विविधता) को मौद्रिक मूल्य प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है।
- **डेटा(Data) अंतराल:** पर्यावरणीय क्षरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर विश्वसनीय और व्यापक डेटा का अभाव।
- **कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे:** हरित GDP को अपनाने के लिए लेखांकन ढाँचे एवं नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता है।

हरित सकल घरेलू उत्पाद(ग्रीन GDP) लेखांकन पर वैश्विक पहल

- **पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन की संयुक्त राष्ट्र प्रणाली (SEEA):** SEEA राष्ट्रीय लेखा में पर्यावरणीय आंकड़ों को एकीकृत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
    - प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरणीय क्षरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर नज़र रखता है।
- **धन लेखांकन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन (WAVES):** विश्व बैंक के नेतृत्व में एक वैश्विक साझेदारी, WAVES, प्राकृतिक पूँजी को राष्ट्रीय खातों में सम्मिलित करने में देशों को सहायता प्रदान करती है।
    - वन, जल एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है।

Source: IE

परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी

संदर्भ

- भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) ने **भारत लघु रिएक्टर (BSRs)** स्थापित करने के लिए निजी कम्पनियों से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFPs) आमंत्रित किए हैं।

परिचय

- यह देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को विकेन्द्रित करने की दिशा में केंद्र सरकार का **पहला औपचारिक कदम** है।
- कैप्टिव उपयोग के लिए **220 मेगावाट भारत लघु रिएक्टर (BSR)** की स्थापना हेतु प्रस्ताव रखे गए हैं।
    - BSR दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR) हैं, जिनकी **सुरक्षा एवं प्रदर्शन का रिकार्ड उत्कृष्ट** है।.
    - BSRs उन उद्योगों के विकार्बनीकरण के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं, जिन्हें कम करना कठिन है।
- **पृष्ठभूमि:** वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में भारत लघु रिएक्टरों (BSR), भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (BSMR) के साथ-साथ नई परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी का प्रस्ताव रखा गया है।
    - इस घोषणा का उद्देश्य भारत की ऊर्जा उत्पादन के विकार्बनीकरण की महत्त्वाकांक्षी कोशिश और **2030 तक भारत में 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन** प्राप्त करना है।

परमाणु ऊर्जा

- परमाणु ऊर्जा **नवीकरणीय ऊर्जा नहीं** है, परन्तु यह **शून्य-उत्सर्जन वाला स्वच्छ ऊर्जा स्रोत** है।
- यह **विखंडन** के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करता है, जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम परमाणुओं को विभाजित करने की प्रक्रिया है।
    - विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने के लिए किया जाता है, जो टरबाइन को घुमाकर जीवाश्म ईंधनों द्वारा उत्सर्जित हानिकारक उप-उत्पादों के बिना विद्युत उत्पन्न करती है।

परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों की आवश्यकता

- **परमाणु क्षमता:** भारत की योजना अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8,180 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक 22,480 मेगावाट तथा अंततः 2047 तक 100 गीगावाट करने की है।
- **भारत के लक्ष्य:** 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 44% तक कम करना।
    - 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
- **अन्य कारण:**
    - भारत ऊर्जा के स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वह केवल सौर, पवन एवं जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपने उत्सर्जन की तीव्रता को कम नहीं कर सकता है।
    - यदि वह अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य को केवल नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त भी कर लेता है, तो भी विद्युत की लागत बहुत महंगी होगी।

शासन

- **NPCIL:** भारत का परमाणु क्षेत्र **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962** द्वारा शासित है, जिसके अंतर्गत केवल NPCIL जैसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएँ ही परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और आपूर्ति कर सकती हैं।
    - भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अभी तक निजी क्षेत्र की कोई भागीदारी नहीं हुई है।

- **निजी हितधारकों के लिए शर्तें:**
  - उन्हें भूमि की खोज करनी होगी तथा करों सहित सम्पूर्ण पूँजीगत व्यय तथा परिचालन व्यय का वहन करना होगा।
  - संयंत्र का निर्माण पूरा होने के बाद परिसंपत्ति को परिचालन के लिए NPCIL को हस्तांतरित करना होगा।
  - विद्युत संयंत्र को कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का दर्जा दिया जाएगा तथा संयंत्र से उत्पादित विद्युत पर निजी संस्था का पूर्ण अधिकार होगा।
  - कंपनी को अन्य उपयोगकर्ताओं को विद्युत बेचने की भी अनुमति होगी।

परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी के पक्ष में तर्क

- **बेहतर कार्यकुशलता और नवाचार:** निजी कंपनियाँ तकनीकी प्रगति, परिचालन दक्षता एवं नवाचार लाती हैं, जिससे संभावित रूप से लागत में कमी आती है और सुरक्षा मानकों में सुधार होता है।
- **निवेश में वृद्धि:** निजी कंपनियाँ अधिक पूँजी आकर्षित कर सकती हैं, जिससे बड़ी परमाणु परियोजनाओं की वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने में सहायता प्राप्त होगी।
- **तीव्र परियोजना निष्पादन:** प्रतिस्पर्धा एवं लाभ प्रोत्साहन से प्रेरित निजी संस्थाएँ, सरकारी प्रक्रियाओं की तुलना में परमाणु परियोजनाओं को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती हैं।
- **विशेषज्ञता एवं वैश्विक मानक:** निजी कंपनियाँ परमाणु उद्योग में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञता ला सकती हैं, जिससे समग्र मानकों में सुधार होगा।
- **रोजगार सृजन:** निजी कम्पनियों के प्रवेश से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निर्माण से लेकर परिचालन तक रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

विपक्ष में तर्क

- **सुरक्षा एवं संरक्षा जोखिम:** निजी कम्पनियाँ कठोर सुरक्षा उपायों की अपेक्षा लागत में कटौती को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिससे संभावित रूप से भयावह दुर्घटनाओं का जोखिम हो सकता है।
- **पारदर्शिता का अभाव:** निजी कंपनियाँ सार्वजनिक संस्थाओं जितनी पारदर्शी नहीं हो सकतीं, जिसके परिणामस्वरूप संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकियों के प्रबंधन में जवाबदेही का अभाव हो सकता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी संस्थाओं को सम्मिलित करने से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना पर विदेशी स्वामित्व, नियंत्रण या प्रभाव की संभावना के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **सीमित विनियामक नियंत्रण:** निजी कंपनियों पर सख्त विनियामक निगरानी सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे सुरक्षा, पर्यावरण एवं परिचालन मानकों के अनुपालन में चूक होने की संभावना हो सकती है।
- **सार्वजनिक कल्याण की अपेक्षा लाभ की प्राथमिकता:** निजी कम्पनियाँ सार्वजनिक कल्याण की अपेक्षा लाभ को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक सुरक्षा एवं परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालिक स्थिरता पर संभावित रूप से समझौता हो सकता है।

आगे की राह

- **स्पष्ट नियामक ढाँचा:** सुरक्षा, अनुपालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ नियामक वातावरण स्थापित करना, जवाबदेही एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का समाधान करना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs):** ऐसी साझेदारी को बढ़ावा देना जहाँ सरकार निगरानी रखती है, जबकि निजी कंपनियाँ हितों का संतुलन सुनिश्चित करते हुए परिचालन, नवाचार एवं निवेश को संभालती हैं।

- **क्रमिक कार्यान्वयन:** निजी क्षेत्र की भागीदारी का परीक्षण करने के लिए पायलट परियोजनाओं एवं छोटे पैमाने की पहलों से शुरुआत करें, ताकि बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

Source: BS

'ग्रीन बैंक' के माध्यम से विकार्बनीकरण का वित्तपोषण

संदर्भ

- ऊर्जा, **पर्यावरण एवं जल परिषद (CEEW) एवं प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद भारत (NRDC)** द्वारा किए गए एक विस्तृत अध्ययन में भारत में हरित बैंक की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

ग्रीन बैंक का परिचय

- ग्रीन बैंक **मिशन-संचालित** संस्थाएँ हैं जिन्हें विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन शमन(Mitigation) एवं अनुकूलन में योगदान देने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ये **सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक या गैर-लाभकारी वित्तपोषण संस्थाएँ** हैं जो उत्सर्जन को कम करने वाली स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी पूँजी का लाभ प्राप्त करती हैं।
- इन्हें हरित परियोजनाओं की उच्च लागत एवं किफायती वित्तपोषण की आवश्यकता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भारत में ग्रीन बैंकों की आवश्यकता

- **जलवायु वित्त की कमी:** COP-29 से लेकर UNFCCC तक ने जलवायु वित्त में महत्त्वपूर्ण अंतर को प्रकट किया है। जबकि **विकसित देशों ने विकासशील देशों को सहायता देने के लिए वार्षिक 300 बिलियन डॉलर** देने का वचन दिया है, यह राशि **वैश्विक दक्षिण द्वारा मांगे गए 1.3 ट्रिलियन डॉलर** से बहुत कम है।
  - इसमें भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इस अंतर को समाप्त करने के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र खोजने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- **उच्च ब्याज दर:** पारंपरिक वाणिज्यिक बैंक प्रायः अल्प अवधि के लिए उच्च ब्याज दर वाले ऋण प्रदान करते हैं, जो हरित परियोजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के लिए अनुकूल नहीं होते हैं।
  - दूसरी ओर, ग्रीन बैंक कम ब्याज दर एवं लम्बी अवधि के ऋण की पेशकश करते हैं, जिससे हरित परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तपोषण प्राप्त करना सुलभ हो जाता है।
- **वैश्विक उदाहरण एवं भारत की आवश्यकता:** यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक एवं अमेरिका के कनेक्टिकट ग्रीन बैंक ने ग्रीन बैंक मॉडल की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है।
  - जलवायु वित्त संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे भारत को अपना ग्रीन बैंक स्थापित करने से बहुत लाभ हो सकता है

ग्रीन बैंक के लिए वित्तपोषण स्रोत

- सरकारी अनुदान एवं सब्सिडी;
- पर्यावरण करों एवं उपकरों से प्राप्त आय;
- अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्त ;
- ग्रीन बांड जारी करना;
- समर्पित निवेश नीतियाँ एवं प्रोत्साहन।

ग्रीन बैंक के लाभ

- **भारत के विकार्बनीकरण लक्ष्य:** किफायती एवं सुलभ वित्त उपलब्ध कराकर, एक ग्रीन बैंक नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों से लेकर ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढाँचे और सतत कृषि तक की एक विस्तृत श्रृंखला की परियोजनाओं का समर्थन कर सकता है।
  - इससे भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी, जिसमें **2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता** भी सम्मिलित है।
- **किफायती वित्तपोषण:** ग्रीन बैंक हरित परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करा सकता है, जिससे उनके लिए वित्तपोषण प्राप्त करना सुलभ हो जाता है।
- **निवेश आकर्षित करना:** अनुकूल वित्तपोषण शर्तों की पेशकश करके, एक ग्रीन बैंक भारत के हरित क्षेत्र में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशों को आकर्षित कर सकता है।
- **पूँजी पलायन में कमी:** देश के अंदर किफायती ऋण के विश्वसनीय स्रोत के साथ, हरित परियोजनाएँ विदेशी संस्थाओं से ऋण लेने से बच सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि निवेश भारत में ही रहे।
- **नवाचार को बढ़ावा देना:** एक ग्रीन बैंक नवीन हरित प्रौद्योगिकियों एवं स्टार्टअप्स का समर्थन कर सकता है, जिससे स्थिरता एवं तकनीकी उन्नति की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा.

मुख्य चिंताएँ

- **उच्च प्रारंभिक निवेश लागत:** ग्रीन बैंकिंग प्रथाओं को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढाँचे में अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है।
- **जोखिम मूल्यांकन:** संभावित निवेशों के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव का आकलन करना जटिल और समय लेने वाला हो सकता है।
- **विनियामक वातावरण:** ग्रीन बैंकिंग के लिए विनियामक ढाँचा विभिन्न देशों में अलग-अलग हो सकता है, जिससे विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकरण:** ग्रीन प्रथाओं को शामिल करने के लिए वर्तमान बैंकिंग प्रणालियों को अनुकूलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसके लिए महत्त्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।
- **कौशल अंतराल:** ग्रीन वित्त में कुशल पेशेवरों की कमी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

Source: DTE

संक्षिप्त समाचार

रानी वेलु नचियार

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

रानी वेलु नाचियार

- 1730 में जन्मी रानी वेलु नचियार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने वाली भारत की प्रथम रानी थीं।
  - तमिलों द्वारा "**वीरमंगई" (बहादुर महिला)** के रूप में जानी जाती हैं।

- **उनके जीवन की प्रमुख घटनाएँ:** अपने पति की हत्या के पश्चात्, उन्होंने आठ वर्ष हैदर अली के संरक्षण में व्यतीत किए।
    - उन्होंने अपनी सेना तैयार की और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला करने की योजना बनाई।
    - **अंग्रेजों को हराना:** 1780 में, उन्होंने अपनी सेना एवं सहयोगियों की सहायता से अंग्रेजों को पराजित किया और अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया।
        - उनकी विजय को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण अध्याय माना जाता है।
    - **अभिनव रणनीति:** रानी वेलु नचियार को इतिहास में प्रथम बार आत्मघाती हमले की रणनीति का उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है।
- **भाषा दक्षता:** वह फ्रेंच, अंग्रेजी एवं उर्दू में कुशल थी।
- **विरासत:** रानी वेलु नचियार बहादुरी, सशक्तिकरण एवं अन्याय के विरुद्ध लड़ने के साहस का प्रतीक हैं। उनका जीवन पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

Source: PIB

सावित्रीबाई फुले जयंती

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षा एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अग्रणी सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

सावित्रीबाई फुले का परिचय

- **जन्म : 3** जनवरी, 1831, महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगाँव गाँव में।
- **विवाह:** 1840 में, नौ वर्ष की आयु में, उनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ, जो उस समय सिर्फ 13 वर्ष के थे।
- **शिक्षा:** औपचारिक रूप से **भारत की प्रथम महिला शिक्षिका** के रूप में मान्यता प्राप्त। 1848 में, इस दंपति ने पुणे के भिड़े वाडा में **लड़कियों के लिए देश का प्रथम स्कूल** स्थापित किया।
- **बालहत्या प्रतिबंधक गृह:** 1863 में, ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई ने बालहत्या प्रतिबंधक गृह की शुरुआत की, जो **शिशुहत्या पर रोक लगाने के लिए समर्पित भारत का प्रथम घर** था।
    - उन्होंने अन्य सामाजिक मुद्दों के अतिरिक्त अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, सती एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन की भी समर्थन किया।
- 1873 में फुले दंपत्ति ने **सत्यशोधक समाज (ट्रुथ सीकर सोसिएटी)** की स्थापना की, जो जाति, धर्म या वर्ग पदानुक्रम से परे सभी के लिए खुला मंच था, जिसका एकमात्र उद्देश्य सामाजिक समानता लाना था।
- **साहित्यिक कृतियाँ:** काव्य फुले (कविता का पुष्प), 1854 में और बावन काशी सुबोध रत्नाकर (शुद्ध रत्नों का सागर), 1892 में।

Source: PIB

डेटा संरक्षण कानून पर मसौदा नियम

समाचार में

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** (DPDP अधिनियम) को लागू करने के लिए **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025** का मसौदा तैयार किया है।

- DPDP अधिनियम, 2023 का उद्देश्य व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार को व्यक्तिगत डेटा के वैध प्रसंस्करण की आवश्यकता के साथ संतुलित करना है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का परिचय

- मसौदा नियम SARAL ढाँचे का पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सरल भाषा का उपयोग करते हैं, स्पष्ट संदर्भगत परिभाषाएँ प्रदान करते हैं, तथा आसान समझ के लिए चित्रण को सम्मिलित किया गया है।
- इन नियमों का उद्देश्य भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करना है।
- **मसौदा नियमों की मुख्य विशेषताएँ:** डेटा फिड्यूशरीज़ (व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने वाली संस्थाएँ) के लिए व्यक्तियों को सूचित करने की आवश्यकताएँ।
  - सहमति-संबंधी गतिविधियों को संभालने वाले सहमति प्रबंधकों के लिए पंजीकरण एवं दायित्व।
  - सब्सिडी, लाभ, सेवाएँ आदि जारी करने के लिए सरकार द्वारा व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के नियम।
  - व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकताएँ।
  - व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों के बारे में व्यक्तियों को सूचित करने का दायित्व।
  - व्यक्ति अपने व्यक्तिगत डेटा के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसका विवरण देने वाले प्रावधान।
  - बच्चों या विकलांग व्यक्तियों के डेटा के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश।
  - डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना के लिए रूपरेखा, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें शामिल हैं।

Source: TH

रमेश चंद समिति

समाचार में

- भारत सरकार ने देश के **थोक मूल्य सूचकांक (WPI)** को संशोधित करने के लिए **रमेश चंद समिति** के गठन की घोषणा की, जिसका वर्तमान आधार वर्ष **2011-12** के स्थान पर नया आधार वर्ष **2022-23** होगा।

सन्दर्भ

- WPI में पहले भी संशोधन हो चुके हैं, अंतिम बार इसका अद्यतन **2015** में हुआ था, जब आधार वर्ष को **2004-05** से परिवर्तित **2011-12** कर दिया गया था।
- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) को अद्यतन करने का प्राथमिक उद्देश्य उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।
- वर्तमान में, WPI केवल वस्तुओं पर ही केंद्रित है तथा सेवा क्षेत्र को नजरअंदाज करता है, जो भारत के आर्थिक उत्पादन में आधे से अधिक का योगदान देता है।
- इस सीमा को संबोधित करने के लिए, सरकार अधिक समावेशी **उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)** में परिवर्तन करने की योजना बना रही है। इस परिवर्तन का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं दोनों को सम्मिलित करके आर्थिक गतिविधि की एक व्यापक श्रेणी को शामिल करना है, जिससे मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक और सटीक माप सुनिश्चित हो सके।

रमेश चंद समिति

- नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता वाला पैनल नए **उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)** की कार्यप्रणाली एवं संरचना की भी समीक्षा करेगा।
- **उद्देश्य:** समूह का कार्य मूल्य संग्रहण प्रणाली में सुधार का आकलन और सुझाव देना, दोनों सूचकांकों के लिए गणना विधियों को परिष्कृत करना, तथा WPI से PPI में संक्रमण के लिए रोडमैप विकसित करना है।
    - सूचकांकों की विश्वसनीयता के लिए एवं सुधार का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। अंतिम रिपोर्ट 30 जून, 2026 तक प्रस्तुत की जानी है।

Source:TH

वस्त्र उद्योग के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी

संदर्भ

- भारत 2023 में विश्व में वस्त्र एवं परिधान (T&A) का **छठा सबसे बड़ा निर्यातक** होगा।

परिचय

- **वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी:** वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी **3.9%** है।
- **निर्यात में हिस्सेदारी:** भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित T&A की हिस्सेदारी 2023-24 में **8.21%** है।
    - वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान इसमें 7% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **प्रमुख गंतव्य:** संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ तथा कुल वस्त्र एवं परिधान निर्यात में लगभग 47% हिस्सेदारी।

Source: PIB

ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV)

संदर्भ

- चीन में **ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV)** के मामलों में तीव्र वृद्धि दर्ज हो रही है, जो विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित कर रहा है।

HMPV (ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस) का परिचय

- **प्रकृति:** एक श्वसन वायरस जो सामान्यतः हल्का संक्रमण उत्पन्न करता है, जो सामान्य सर्दी के लक्षणों जैसा होता है।
- **खोज:** सर्वप्रथम **वर्ष 2001**में खोजा गया HMPV, **रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस (RSV)** के साथ **न्यूमोविरिडे परिवार** से संबंधित है।
- **संचरण:** कोविड-19 के समान, HMPV भी संक्रमित व्यक्ति के **खाँसने या छींकने** पर **श्वसन बूंदों** के माध्यम से प्रसारित होता है।
- **लक्षण:** खाँसी, बुखार, साँस लेने में तकलीफ, साथ ही ब्रोंकाइटिस एवं निमोनिया जैसी जटिलताएँ भी हो सकती हैं।
- **उपचार:** वर्तमान में, HMPV के उपचार के लिए कोई टीका या विशिष्ट एंटीवायरल उपलब्ध नहीं है और अधिकाँश लोग बुखार एवं दर्द से राहत पाने के लिए बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली दवाओं पर निर्भर रहते हैं।

Source: TH

भारत की पहली 'तटीय-जलचर पक्षी जनगणना (Coastline-Waders Bird Census)'

संदर्भ

- गुजरात जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में देश की प्रथम तटीय एवं जलीय पक्षियों की जनगणना करने जा रहा है।

परिचय

- यह गणना राज्य वन विभाग एवं गुजरात पक्षी संरक्षण सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी।
- **वेडर पक्षी(Waders Bird):**
  - इन्हें शोरबर्ड या सैंडपाइपर के नाम से भी जाना जाता है, ये पक्षियों का एक समूह है जो सामान्यतः तटीय आवासों या आर्द्रभूमि में पाया जाता है।
  - उनकी विशेषता है लंबे पैर, पतला शरीर, तथा प्रायः लंबी चोंच, जिसका उपयोग वे कीड़े-मकोड़ों जैसे भोजन की खोज में रहते हैं।
- **समुद्री राष्ट्रीय उद्यान:**
  - गुजरात स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं समुद्री अभयारण्य **भारत का प्रथम नामित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान** है।
  - देवभूमि द्वारका, जामनगर और मोरबी जिलों में विस्तृत यह लगभग 170 किलोमीटर समुद्र तट एवं 42 द्वीपों को कवर करता है।
  - कच्छ की खाड़ी में यह संरक्षित क्षेत्र समुद्री जैव विविधता एवं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था।
  - यह पार्क **मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF)** के किनारे स्थित है।
    - यह पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है, जो आर्कटिक एवं हिंद महासागर तथा संबंधित द्वीप शृंखलाओं के मध्य यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र को कवर करता है।
- **पक्षी प्रजातियाँ:**
  - जामनगर जिले में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की **300 से अधिक प्रजातियाँ** पाई जाती हैं, जिनमें **50 से अधिक वेडर पक्षियों की प्रजातियाँ** सम्मिलित हैं।
  - इनमें 'शंखलो' (क्रैब प्लोवर) एवं 'मोटो किचड़ी' (ग्रेट नॉट) जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ सम्मिलित हैं, जो देश में अन्यत्र शायद ही पाई जाती हैं।

Source: IE

■■■■